

प्रेस नोट – थाना कोतवाली शहर

दिनांक - 20.02.2024

थाना कोतवाली शहर पुलिस ने मु0अ0सं0 123/2024 धारा 363/376 भादवि व धारा 3/4 पॉक्सो अधिनियम में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

### संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 10.02.2024 को वादी द्वारा थाना कोतवाली शहर पर तहरीर दी गयी कि दिनांक 09.02.2024 को अभियुक्तगण 1.फाइक पुत्र रईस, 2.सायमा पुत्री रईश, 3.आफरीन पुत्री खुर्शीद, 4.रईस पुत्र सीदी, 5.शाकिर पुत्र रईस व 6.फाजिल पुत्र रईस निवासीगण मौ0 कस्साबान थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर वादी की पुत्री बहला-फुसलाकर फाइक से शादी कराने के उद्देश्य से अपने साथ ले गये। तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 123/24 धारा



363 भादिव बनाम फाइक आदि कुल 06 नफर उपरोक्त पंजीकृत किया गया। दिनांक 16.02.2024 को स्थानीय पुलिस द्वारा अभियोग से सम्बन्धित अपहृता को सकुशल बरामद किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में धारा 376 भादिव व धारा ¾ पॉक्सो अधि0 की वृद्धि की गयी।

#### <u>कार्यवाही –</u>

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 20.02.2024 को थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 123/2024 धारा 363/376 भादिव व धारा 34 पॉक्सो अधिनियम में वांछित अभियुक्त फाईक पुत्र रईस निवासी मौ0 कस्साबान थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

#### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

फाईक पुत्र रईस निवासी मौ0 कस्साबान थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर

# गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

- 1.उ0नि0 राजीव कुमार थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर
- 2.हे0कां0 679 रंजन थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर
- 3.कां0 1198 संन्दीप थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर



# प्रेस नोट – जनपद बिजनौर

दिनांक:- 20.02.2024

# जनपदीय पुलिस द्वारा 04 वारंटी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चल रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 20.02.2024 को जनपदीय पुलिस द्वारा 04 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। जिनका विवरण निम्नवत है:-

क्र0सं0	नाम थाना	गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तगण का नाम व पता
1.	अफजलगढ	दिनेश कुमार पुत्र अमर सिंह नि0 हेडी बस्ती इस्लामनगर ।
2.	मण्डावली	सोनू पुत्र राजाराम नि0 ग्राम शहाबपुरा उमराव।
3.	धामपुर	सुखलाल पुत्र कालू सिंह नि0 ग्राम शेखपुरा पित्ता ।
4.	नजीबाबाद	मुकेश पुत्र बाबू निवासी ग्राम कनकपुर कला।



थाना अफजलगढ



थाना मण्डावली



थाना धामपुर



थाना नजीबाबाद



दिनांक - 20.02.2024

# थाना नूरपुर पुलिस ने दो अभियुक्तों को चोरी किये गये बिजली तारो के दो बन्डल सहित किया गिरफ्तार।

#### संक्षिप्त विवरण -

दिनांक 27.01.2024 को वादी श्री सतेन्द्र पंवार पुत्र श्री सौदान सिंह निवासी सिखेडा थाना सिखेडा जनपद मुजफ्फरनगर ने थाना नूरपुर पर तहरीर दी कि थाना नूरपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम झीरन में बिजली के पुराने तार बदलने व नई एबीसी केबिन डालने के लिये रखे तार के बन्डल को अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर लिया है। तहरीर के आधार पर थाना नूरपुर पर मु0अ0सं0 36/2024 धारा 379 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में अभियुक्तगण 1.सौरभ उर्फ राहुल पुत्र



समरपाल सिंह चौहान निवासी ग्राम शेरगढ थाना हसनपुर जनपद अमरोहा 2.गौरव पुत्र सुरेन्द्र सिंह चौहान निवासी ग्राम भगवानपुर थाना हसनपुर जनपद अमरोहा का नाम प्रकाश में आया।

#### कार्यवाही -

पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम व चोरी की घटनाओं में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी व चोरी गये माल की बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 20.02.2024 को थाना नूरपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 36/2024 धारा 379 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1.सौरभ उर्फ राहुल पुत्र समरपाल सिंह चौहान निवासी ग्राम शेरगढ थाना हसनपुर जनपद अमरोहा 2.गौरव पुत्र सुरेन्द्र सिंह चौहान निवासी ग्राम भगवानपुर थाना हसनपुर जनपद अमरोहा को गिरफ्तार किया गया । अभियुक्तों की निशादेही पर चोरी किये गये तारों के 02 बण्डल बरामद किये गये । विधिक कार्यवाही की जा रही है।

# <u>गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता –</u>

- 1. सौरभ उर्फ राहुल पुत्र समरपाल सिंह चौहान निवासी ग्राम शेरगढ़ थाना हसनपुर जनपद अमरोहा
- 2. गौरव पुत्र सुरेन्द्र सिंह चौहान निवासी ग्राम भगवानपुर थाना हसनपुर जनपद अमरोहा

#### बरामदगी -

चोरी किये गये बिजली के तारों के दो बन्डल

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

- 1. उ0नि0 श्री देवी प्रसाद गौतम थाना नूरपुर जनपद बिजनौर
- 2. उ0नि0 श्री सुनील कुमार दीक्षित थाना नूरपुर जनपद बिजनौर
- 3. हे0कां0 823 प्रमोद कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर
- 4. कां0 1287 नीरज पंवार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर



# प्रेस नोट – थाना कोतवाली देहात

दिनांक - 20.02.2024

# थाना कोतवाली देहात पुलिस ने अभियुक्त को अवैध चाकू सहित किया गिरफ्तार।

# कार्यवाही -

जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध शस्त्र रखने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 20.02.2024 को थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा अभियुक्त अंकित पुत्र सुरेन्द्र निवासी ग्राम अलीपुरमान उर्फ खेड़ा थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर को अवैध चाकू सिहत गिरफ्तार किया गया। अवैध शस्त्र बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0सं0 42/2024 धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम बनाम अंकित उपरोक्त पंजीकृत किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।



# गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता 🗕

अंकित पुत्र सुरेन्द्र निवासी ग्राम अलीपुरमान उर्फ खेड़ा थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर

# <u>बरामदगी –</u>

एक अवैध चाकू

# गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1-हे0कां0 644 हिमांशु शर्मा थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर

2-हो0गा0 945 आशू त्यागी थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर



# जनपद बिजनौर प्रेस नोटः- थाना स्योहारा

दिनाँक 20.02.2024

# थाना स्योहारा पुलिस ने अभियुक्त को अवैध चाकू सहित किया गिरफ्तार।

#### कार्यवाही :-

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अवैध शस्त्र के निर्माण/बिक्री/परिवहन में संलिप्त अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना स्योहारा पुलिस द्वारा चेकिंग को दौरान अभियुक्त सागर कुमार पुत्र छत्रपाल सिंह निवासी महमूदपुर माफी थाना कांठ जनपद मुरादाबाद को एक अवैध चाकू सिंहत गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना स्योहारा पर मु0अ0सं0 75/2024 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

# गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता :-

सागर कुमार पुत्र छत्रपाल सिंह निवासी महमूदपुर माफी थाना कांठ जनपद मुरादाबाद।

# बरामदगी विवरणः-

01 अवैध चाकू।

# गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1.हे0का० 689 पुष्पेन्द्र थाँना स्योहारा जनपद बिजनौर । 2.का० 40 लोकेश थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ।







प्रेस नोट – थाना कोतवाली देहात दिनांक –20.02.2024

# थाना कोतवाली देहात पुलिस ने मु0अ0सं0 355/23 धारा 307/34/323/324/504 भादवि में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

#### संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 31.12.2023 को वादी श्री दानिश पुत्र महमूद निवासी मौ0 मौमीन नगर कस्बा व थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर द्वारा थाना कोतवाली देहात पर तहरीर दी गयी कि दिनांक 31.12.2023 को अभियुक्तगण 1.इन्तजार पुत्र अब्दुल रज्जाक निवासी मौ० रहमुल्ला कॉलोनी थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर, 2.दानिश पुत्र रईस निवासी नामालूम, 3.इदरीश पुत्र रईस



4.रईस पुत्र मुन्ना निवासीगण मौ0 शेखान थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर ने एक राय होकर वादी व वादी के परिजनों के साथ जान से मारने की नियत से मारपीट तथा गाली-गलौच की। तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली देहात पर मु०अ०सं० 355/23 धारा 307/34/323/324/504 भादवि बनाम उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

# कार्यवाही -

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा मु०अ०सं० 355/23 धारा 307/34/323/324/504 भादवि में वांछित अभियुक्त इन्तजार पुत्र अब्दुल रज्जाक निवासी मौ० रहमुल्ला कॉलोनी थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

नोट:- स्थानीय पुलिस द्वारा अभियोग में वांछित अभियुक्त रईस उपरोक्त को पूर्व में ही गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा चुका है।

#### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

इन्तजार पुत्र अब्दुल रज्जाक निवासी मौ० रहमुल्ला कॉलोनी थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर

# गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

- 1.उ0नि0 श्री विजय कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर।
- 2.कां0 21 विकास कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर।



दिनांक:- 20,02,2024

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में थाना हल्दौर पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय द्वारा शस्त्र अधिनियम से संबंधित अभियुक्त को 07 वर्ष का कारावास व 5,000/- रूपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित ।

#### कार्यवाही:-

दिनांक 23.10.2021 को थाना हल्दौर पुलिस व स्वाट टीम द्वारा अभियुक्त गुलफाम पुत्र सगीर अहमद निवासी ग्राम खारी थाना हल्दौर जनपद बिजनौर को 11 निर्मित — अर्द्धनिर्मित तमंचे (04 निर्मित व 07 अर्द्धनिर्मित), 04 जिन्दा कारतूस, शस्त्र बनाने के उपकरण सिहत गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना हल्दौर पर मु0अ0सं0 351/21 धारा 5/25 शस्त्र अधिनियम बनाम गुलफाम उपरोक्त पंजीकृत किया गया। विवेचना उपरांत पुलिस द्वारा आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 20.02.2024 को मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), जनपद बिजनौर द्वारा मु0अ0सं0 351/21 धारा 5/25 शस्त्र अधिनियम के आरोपी अभियुक्त गुलफाम पुत्र सगीर अहमद निवासी ग्राम खारी थाना हल्दौर जनपद बिजनौर को 07 वर्ष के कारावास व 5,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दिण्डत किया गया।

# दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम पता -

गुलफाम पुत्र सगीर अहमद निवासी ग्राम खारी थाना हल्दौर जनपद बिजनौर

# खंडहर में चल रही थी अवैध असलाह फैक्ट्री

बिजनौर | संवाददाता

हल्दौर पुलिस व स्वाट टीम ने शख फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने भारी मात्रा में अवैधशस्त्र व उपकरणों के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। जो निजी जरूरतों को पूरा करने के लिए शस्त्र फैक्ट्री चलाता था। एसपी ने मामले का खुलासा किया है। डेढ़ दर्जन मुकदमे पहले से ही दर्ज हैं। वह हल्दौर थाने का हिस्ट्रीशीटर भी है।

जिले में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में हल्दौर पुलिस व स्वाटटीम ने सूचना पर संयुक्त



अवैध शस्त्र बनाते पकड़े गए बदमाश के बारे में जानकारी देते एसपी। ● हन्दस्तान

कार्रवाई करते हुये 22/23 अक्तूबर की रात झालू रेलवे स्टेशन के पास खंडहरों में घेराबंदी करते हुए अवैध शख बनाने की फैक्ट्री पकड़ी। पुलिस ने हल्दौर के गांव खारी निवासी गुलफाम पुत्र संगीर अहमद को 315 वार्ता के दौरान अभियुक्त के निकले आंसू

एसपी डॉ. वर्मवीर सिंह जब पंत्रकारों से वार्ता कर रहे थे, इसी दौरान एसपी के पीछे खड़ा अभियुक्त रो पड़ा। जब पत्रकारों ने रोने की बजह पुछी तो उसने बताया कि उसको झूठा फंसाया गया है। पत्रकारों ने फिर सवाल किया कि अगर पुलिस ने तुम्हे झूठा फंसाया है, तो इससे पहले तुम पर डेढ़ दर्जन मुकदमें दर्ज हैं, वह कैसे हुये। तो अभियुक्त इसका कोई जवान नहीं दे पाया।

बोर के चार तमंचे, सात अधबने तमंचे, पांचकारतूस, चोरी की एक बाइक, छह छोटी स्प्रिंग, एक लोहे की आरी, छह छैनी, एक ड्रील मशीन, सात लकड़ी के गुटके व एक बंडल तार का बरामद किया है। एसपी डॉ. धर्मवीर सिंह ने पुलिस कार्यालय में शनिवार को खुलासा करते हुये बताया कि अभियुक्त अपनी निजी जरूरतों को

पूरा करने के लिए अवैध शस्त्रों का निर्माण करता था। वह पांच से दस हजार रुपये में बेच देता था। अभियुक्त के पास से मिली चोरी की बाइक उसने उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के थाना कैंट के गंगोडा क्षेत्र से चुराई गई थी। अभियुक्त पर कोतवाली नगर व हल्दौर थाने में करीब डेढ़ दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं।